.<u>न्यायालयः— द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म०प्र०)</u> (समक्षः श्री पी.सी. आर्य)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांकः 236 / 13 संस्थापन दिनांक—21 / 10 / 13 फाइलिंग नंबर—230303002192013

राजवीर पुत्र लालजीत आयु 34 साल जाति जाटव, निवासी ग्राम पटकुईया का पुरा मजरा शेरपुर थाना एण्डौरी तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

–पुनरीक्षणकर्ता

वि रू द्ध

- 1. मेवा आयु 32 साल पुत्र लच्छी जाटव
- 2. नर्मदा उर्फ राधा पत्नी राजवीर आयु 30 साल निवासीगण गल्ला कोठर ठाटीपुर ग्वालियर —————

—<u>प्रतिपुनरीक्षणकर्ता</u>

पुनरीक्षणकर्ता अनुपस्थित प्रतिपुनरीक्षणकर्ता अनुपस्थित।

न्यायालय—कुमार शैलजा गुप्ता, जे.एम.एफ.सी. गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक— बण्डल / 2012 इ०फौ में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 26 / 07 / 13 से उत्पन्न दांडिक पुनरीक्षण ।

<u>−ः− आ दे श −ः−</u> (आज दिनांक **26 नवंबर 2016** को पारित **किया** गया)

- 1— प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण याचिकाकर्ता राजवीर की ओर से न्यायालय जे०एम०एफ०सी० कुमारी शैलजा गुप्ता द्वारा प्रकरण कमांक बण्डल / 2012 में दिनांक 26 / 07 / 13 को पारित आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता का प्रस्तुत परिवाद संज्ञान योग्य न मानते हुए खारिज किया गया था।
- 2— पुनरीक्षणकर्ता की याचिका का सार संक्षेप में इस प्रकार का है, कि उसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिपुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध धारा—294, 493, 494, 498, 506बी भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिए जाने हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था, कि प्रतिपुनरीक्षणकर्ता क्रमांक 01 मेवा उसकी पत्नी प्रतिपुनरीक्षणकर्ता क्रमांक 02 नर्मदा उर्फ राधा को बहला फुसला कर अपने साथ दिनांक 20/11/12 को ले गया था, उसने पत्नी के गुमने की थाने जाकर रिपोर्ट की, किंतु पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं ली और कुछ दिन बाद मेवा ने फोन करके धमकी दी, कि अब वह अपनी पत्नी को नहीं ढूंड सकेगा, क्योंकि अब वह उसकी पत्नी बन गई है और कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी भी दी, जिसकी भी उसने पुलिस को शिकायत की, किंतु कार्यवाही न होने पर पुलिस के विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख के प्रतिकूल दिनांक 26/07/13 को अवैधानिक

आदेश पारित कर निरस्त कर दिया है, इसलिए पुनरीक्षणयाचिका स्वीकार कर उक्त अपराध का संज्ञान लिए जाने बावत प्रर्थना की गई।

3— प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका के निराकरण के लिए मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :--

1— क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद सुश्री शैलजा गुप्ता द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक बण्डल / 12 में आदेश दिनांकित 26 / 07 / 13 अवैध अनुचित या औचित्यहीन होकर अपास्त किए जाने योग्य है ??

💬 निष्कर्ष के आधार—::—

प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता और उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए है, तथा परिवाद का मूल अभिलेख दिनांक 02/09/14 को सहायक अभिलेखापाल तहसील न्यायालय गोहद के प्रतिवेदन मुताबिक विनिष्ट किया जा चुका है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश में परिवादी राजवीर के धारा-200 दं०प्र0सं० के तहत हुए जांच कथन एवं उसके साक्षी देशराज के जांच कथन में विश्वसनीयता नहीं पाई और उनके कथनों में अश्लील गालियां दिए जाने के अपराध बावत तथ्य नहीं आए है, तथा उनके कथनों में ऐसा भी उल्लेख नहीं आया है, कि मेवा के द्वारा नर्मदा के साथ उसके विधिपूर्ण विवाह की प्रवंचना कर स्वयं को उसका पति होने का विश्वास दिलाकर सहवास कारित किया हो, जिसके कारण धारा–493 का अपराध नहीं बनना पाया, मेवा द्वारा नर्मदा से शादी की गई हो, ऐसी साक्ष्य न होने से नर्मदा के विवाहिता पत्नी होने के बावजूद द्विविवाह करना भी प्रकट नहीं हुआ है, जिससे धारा–494 भा0द0वि0 का अपराध आकर्षित होना नहीं माना जा सकता है, तथा मेवा द्वारा नर्मदा को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाने की साक्ष्य भी न आने से धारा–498 भा०द०वि० का अपराध आकर्षित न होना पाया और और जान से मारने की धमकी के संबंध में धारा—506 भा0द0वि0 के लिए आवश्यक अवयवों की पूर्ति नही मानी गई, तत्पश्चात परिवाद धारा—203 दं०प्र०सं० के अंतर्गत खारिज किया गया, इस न्यायालय के समक्ष आलोच्य आदेश के अलावा और कोई दस्तावेज जैसे परिवादपत्र की प्रति, जांच कथनों की नकलें, परिवादी / पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को की गई लिखित शिकायतों की प्रतियां आदि अभिलेख पर नहीं है, जिससे आलोच्य आदेश में जिन तथ्यों का उल्लेख किया है, वे अभिलेख के अनुरूप, या प्रतिकूल अंकित किए गए, इसे जांचने का कोई भी आधार नहीं है, किंत् जो विधिक निष्कर्ष दिया है उसमें अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है, तथा पुनरीक्षण याचिका मूल अभिलेख के विनिष्टि होने से औचित्यहीन हो गई है, इसलिए आलोच्य आदेश को अपास्त करने का कोई आधार विद्यमान न होने से पुनरीक्षण याचिका को सारहीन मानते हुए, बाद विचार निरस्त किया जाता है।

दिनांक— 26 नवंबर 2016 आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी0सी0 आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड

(पी०सी० आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड ATTARAN PARENTA PARENTA STATE OF STATE

THE PARTY PROPERTY PR